हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	16/रेगुलर/25 सरकार / राजेन्द्र बैरवा वगै.	
15/7/25	अति० जिला कलक्टर बून्दी न्यायालय से प्राप्त पत्रावली वहीं से नियत पेशी पर आज पेश हुई। पेरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की हाजिरी मुआफी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते सुनवाई उभयपक्ष दिनांक 21/07/25 को पेश हो।	
21/07/25	वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पर उभयपक्ष को सुना गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ कि थानाधिकारी, पुलिस थाना हिण्डोली द्वारा दिनांक 07/03/12 को बसोली मोड के पास सुरेश मीना के ढाबे पर भारत पेट्रोलियम लिखे हुये तीन टेंकरों में से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल निकालते हुये ढाबामालिक सुरेश कुमार मीना, एक टेंकर-चालक राजेन्द्र बैरवा, दूसरा टेंकर-चालक महबूब अली एवं तीसरा टेंकर चालक जाहिद खाँ को पकड़ा। बिना अनुज्ञापत्र डीजल-पेट्रोल खरीदने, बेचने एवं भण्डारण करने का कृत्य धारा 379, 407, 411 IPC एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से सामग्री जप्तकर मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। थाना में लाकर मुकदमा नं. 83/12 दर्ज किया जाकर मुलजिमान से अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।	

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	16 सितम्बर/25, सरकार/राजेन्द्र बैरवा वगै.	
	पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बून्दी दायरा फौजदारी प्रकरण सं. 303/2012 सरकार बनाम सुरेश कुमार वगै० में पारित निर्णय दिनांक 10-10-23 के अवलोकन से प्रकट है कि अपराध अन्तर्गत धारा 407 भा.द.स. व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है DSO बून्दी के पास जमा जप्तशुदा माल 8 जरीकेन (डीजल-पेट्रोल) को नियमानुसार नीलाम कर प्राप्त राशि व प्रकरण में जप्तशुदा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराने का आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रकरण में जप्तशुदा तीनों वाहन पूर्व में ही जमानत पर वाहन मालिकों की सिपुर्दगी में दिये जा चुके थे तथा न्यायालय निर्णय में अप्रार्थीगण दोषमुक्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय स्तर पर हस्तगत प्रार्थनापत्र पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। अतः प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। थानाधिकारी, पुलिस थाना हिण्डोली को न्यायालय CJM बून्दी के निर्णय दिनांक 10-10-23 की छायाप्रति तत्काल पालना हेतु भेजी जाकर पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी	